राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजगढ़ल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स, जयपुर

एफ 11(163)()/विप्र.क.व/डीजीबीरी/सान्याअवि/18/7070 जयपुर दिनांक–10.02.2022

राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के
नियम

राज्य सरकार राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न नियम बनाती है :–

नियम– 1 संक्षिप्त नाम एवं कार्यक्षेत्र

यह बोर्ड राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जायेगा तथा इसका मुख्यालय/कार्यालय जयपुर मे स्थित होगा। ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान मे तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

नियम– 2 परिभाषा

जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नही हो तब तक निम्नानुसार दी गई परिभाषाऐं ही इन नियमो के निर्वचन (Interpretation) हेतु अन्तिम होगी :–

1. राज्य सरकार से तात्पर्य "राजस्थान सरकार" से है।
2. विभाग से तात्पर्य "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार" से है।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से तात्पर्य "अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग" से है।
4. निदेशक/आयुक्त से तात्पर्य "निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग" से है।
5. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य विभाग में पदस्थापित अधिकारी से होगा जिसका मनोनयन विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. जिला अधिकारी से तात्पर्य विभाग द्वारा जिले मे पदस्थापित "उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी" से है।
7. बोर्ड सचिव से तात्पर्य विभागीय अधिकारी "संयुक्त निदेशक" से है।

नियम– 3 राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के मुख्य उददेश्य–

विप्र समाज के विभिन्न वर्गो की समस्याओं की पहचान करना एवं सर्वेक्षण करना तथा उनके समग्र विकास के कार्यो इत्यादि के उदेश्य से निम्न प्रकार कार्य करेगा–

1. मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओ तथा ट्रस्ट में सेवा, पूजा करने वाले बतौर कार्मिक कार्य करने वाले पुजारियों/सेवको तथा कर्मचारियों को रोजगार के बेहतर अवसर/सुविधाऐ उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव देना।
2. इन वर्गो के लोगों के आर्थिक अभिवृद्वि के लिये इस समाज के लिये विभिन्न योजनाऐ प्रस्तावित करना तथा रोजगार को बढावा देने के लिये उपाय सुझाना।
3. इन वर्गो के विकास से संबन्धित योजनाओ का प्रारूपण तैयार कर राज्य सरकार को अपनी अभिशंषा के साथ प्रेषित करना।
4. ब्राह्मण समाज की सामाजिक बुराईयों/कुरीतियो के विरूद्व ठोस उपाय करने हेतु राज्य सरकार को अभिशंषा के साथ सुझाव देना।
5. इस समाज के लिये संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ की विभिन्न विभागो से समन्वय कर सुझाव देना।
6. इस समाज की कला एवं संस्कृति को बढावा देने के उपाय सुझाना।

नियम–4 राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का गठन

(अ) बोर्ड मे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निम्न 9 गैर सरकारी सदस्य होगे :–

1. बोर्ड मे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं सात सदस्य होगे।
2. बोर्ड का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इन्ही समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो इनके सामाजिक क्षेत्र की समस्याओ की जानकारी रखते हो।
3. सदस्यो का मनोनयन ऐसे निष्ठावान व्यक्तियो मे से किया जावेगा जिन्होने इस समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिये कार्य किया हो।
4. वेद शास्त्रों आदि की जानकारी रखने वाले व्यक्ति भी सदस्य हो सकेंगे।

Scanned with CamScanner

(ब) गैर सरकारी सदस्यो की पंदावधि और सेवा की शर्ते :–

1. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य कार्यग्रहण की दिनाक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा परन्तु राज्य सरकार पूर्व में भी उचित समझती है कि अब आगे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों की सेवाओं की ओर आवश्यकता नही है तो कभी भी उन्हें पद से हटाया जा सकेगा।
2. कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को अपना लिखित त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता त्याग सकेगा।
3. राज्य सरकार इस बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को निम्न लिखित परिस्थितियो में पदमुक्त कर सकेगी :–

   अ. किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक एवं नैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर।
   ब. कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर।
   स. राज्य सरकार की राय मे अपने पद का दुरूपयोग करने के फलस्वरूप विप्र (ब्राह्मण) समाज अथवा जनहित मे पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर,
   द. बोर्ड के सदस्य का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा भरा जा सकेगा।
4. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओ के संबंध में राज्य सरकार जो भी निर्धारित करेगी, देय होगें।

(स) बोर्ड मे निम्न लिखित सरकारी सदस्य होगे :–

क. आयुक्त, उद्योग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी)
ख. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी)
ग. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि
घ. आयुक्त/निदेशक, देवस्थान विभाग
ड़. आयुक्त/निदेशक, श्रम विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
च. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
छ. संयुक्त निदेशक स्तर का विभागीय अधिकारी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड – सचिव

विशेष आमंत्रित सदस्य–

ज. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अथवा उनका प्रतिनिधि।

(द) – उक्त बोर्ड स्थायी प्रकृति का होगा, के रूप में कार्य करेगा

नियम– 5 राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के कार्य सम्पादन हेतु सचिव एवं स्टाफ की नियुक्ति।

संयुक्त निदेशक स्तर का विभागीय अधिकारी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) बोर्ड के सचिव के पद का कार्य करेगे। यह पद स्थायी प्रकृति का होगा।

उक्त बोर्ड स्थायी प्रकृति का होने कें फलस्वरूप बोर्ड के कार्य संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से नवीन पदों का सृजन एवं स्वीकृत किये जायेगें।

नियम– 6 मार्गदर्शक की कार्य पद्वति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा।

नियम– 7 क्षेत्र

राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड स्पष्ट उद्देश्यो के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित नवीन योजनाये बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तावित करेगा।

नियम– 8 योजनाओ की समीक्षा

विप्र (ब्राह्मण) समाज के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ मे इन वर्गो की भागीदारी एवं बनाई जाने वाली नवीन योजनाओ की प्रगति, क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयो एवं उनके समाधान के संबध मे क्या करवाई हो, इस संबध मे राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड समय–समय पर समीक्षा करेगा। यह समीक्षा छः माह मे एक बार की जायेगी।

Scanned with CamScanner

नियम– 9 **नियमो मे शिथिलता**

इन नियमो मे किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नही दी जावेगी। इन नियमो की व्याख्या आयुक्त/ निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी, वही अन्तिम एवं बधंकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद मे आयुक्त/निदेशक का निर्णय अतिंम होगा।

(डा. सुमित शर्मा)
शासन सचिव

एफ 11(163)()/विध.क.व/डीडीबीसी/सान्याअधि/18/7079–7095 जयपुर दिनांक–10.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1- प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3- मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4- समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
6- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7- संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
8- सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
9- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
10- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
11- समस्त विभागाध्यक्ष।
12- समस्त जिला कलक्टर।
13- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
14- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
15- समस्त अधिकारी, मुख्यावास।
16- समस्त जिलाधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
17- गार्ड फाईल।

10/2/2022
(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner